

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 260]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 29 जून 2019—आषाढ़ 8, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 जून 2019

शुद्धि-पत्र

क्र. एफ-ए-3-27-2019-1-पांच-(52).—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-32-2017-1-पांच(37) दिनांक 17 मई, 2019 में

- (क) पृष्ठ 398(2) पर, पंक्ति 12 में, सारणी के कॉलम (5) में, शब्द “कर” के स्थान पर “राज्य कर” पढ़ें;
- (ख) पृष्ठ 398(2) पर, पंक्ति 16 में, सारणी के कॉलम (5) में, शब्द “अठारह” के स्थान पर “नौ” पढ़ें; और
- (ग) पृष्ठ 398 (35) पर, पंक्ति 15 में, “18” के स्थान पर “18” (9+9)” पढ़ें;

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 जून 2019

क्र. एफ-ए-3-27-2019-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-27-2019-1-पांच (52), दिनांक 29 जून 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 29th June 2019

CORRIGENDUM

No. F-A-3-27-2019-1-V-(52).—In, this department notification No. F A3-32-2017-1-V-(37) dated 17th May 2019.

- (a) at page 398 (40),
in line 19, in column (5) of the table, for “tax” read “state tax”; and
in line 23, in column (5) of the table, for “eighteen” read “nine+nine”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.

519